रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03082021-228705
CG-MH-E-03082021-228705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 315] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 2021/श्रावण 12, 1943
No. 315] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 2021/SHRAVANA 12, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 3 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/35.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,-

I. विनियम 16 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में,-

क. उप-खंड (iv) में, शब्दों "ठीक पहले के" के पश्चात् और शब्दों "वित्तीय वर्षों के दौरान" से पूर्व, दिया हुआ शब्द "दो", शब्द "तीन" से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

ख. उप-खंड (v) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(v) जिसके किसी भी नातेदार –

(क) के पास, ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी की पचास लाख रुपये से अधिक के अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) की प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) न हों अथवा सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) के दो प्रतिशत से अधिक का हित न हो अथवा उससे अधिक की प्रतिभूतियाँ या का हित न हो, जैसा निर्धारित किया जाए;

(ख) ने, ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी से अथवा उनके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या निदेशकों से, यथा निर्धारित रकम से ज्यादा का ऋण न लिया हुआ हो;

(ग) ने, ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के ऋण के संबंध में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी को अथवा उनके संप्रवर्तकों (प्रोमोटर्स) या निदेशकों को न तो यथा निर्धारित रकम से अधिक की कोई गारंटी दी हो और न ही उनके पास यथा निर्धारित रकम से अधिक की कोई जमानत (सिक्यूरिटी) रखी हो;

(घ) का सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी के साथ किसी अन्य प्रकार का ऐसा आर्थिक (धनीय) संबंध न हो अथवा उनके साथ किसी अन्य प्रकार का ऐसा लेनदेन (ट्रांजेक्शन) न हुआ हो, जो उसके कुल व्यापारावर्त (टर्नओवर) या उसकी कुल आय के दो प्रतिशत या उससे ज्यादा का हो:

परंतु यह कि ऊपर क्रम सं. (क) से (घ) के अंतर्गत सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी अथवा उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ जिस आर्थिक (धनीय) संबंध या लेनदेन (ट्रांजेक्शन) का उल्लेख किया गया है, वह उसके कुल व्यापारावर्त (टर्नओवर) या उसकी कुल आय के दो प्रतिशत अथवा पचास लाख रुपये या समय-समय पर यथा निर्धारित किसी अधिक रकम, जो भी इनमें से सबसे कम हो, से ज्यादा न हो।"

ग. उप-खंड (vi) में, -

i. शब्दों "और न ही उसका" के पश्चात् और चिह्नों तथा शब्द "(उसके)" से पूर्व, चिह्न तथा शब्द "/ उसकी" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ii. क्रम सं. (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(क) जिस वित्तीय वर्ष में उसे नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव रखा गया हो, उससे ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी या उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी अथवा सूचीबद्ध एंटिटी के संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की किसी कंपनी के प्रबंध-मंडल का मुख्य व्यक्ति (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) हो या रहा हो अथवा का कर्मचारी हो या रहा हो:

परंतु यह कि यदि नातेदार प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति से भिन्न कोई कर्मचारी हो, तो इस खंड के तहत लगाई गई पाबंदी उसकी नियुक्ति पर लागू नहीं होगी ।"

II. विनियम 17 में, उप-विनियम (1ख) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम (1ग) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(1ग) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड / बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) में किसी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने के संबंध में, अगली साधारण बैठक में या नियुक्ति किए जाने की तारीख से तीन महीनों की समयावधि के भीतर (जो भी पहले हो), शेयरधारकों की मंजूरी ले ली जाए ।"

III. विनियम 18 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ख) में, शब्दों "लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों में से" के पश्चात् और शब्दों तथा चिह्न "दो-तिहाई सदस्य" से पूर्व, शब्द "कम से कम" अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

IV. विनियम 19 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) निदेशकों में से कम से कम दो-तिहाई निदेशक स्वतंत्र निदेशक होंगे ।"

V. विनियम 23 में, उप-विनियम (2) में, एक नया परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह कि लेखापरीक्षा समिति (ऑडिट कमेटी) के जो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हों, केवल वही सदस्य संबद्ध पक्षकार संव्यवहारों (रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन) को मंजूरी प्रदान करेंगे ।"

VI. विनियम 25 में,-

क. उप-विनियम (2) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम (2क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2क) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के किसी स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किए जाने, को फिर से नियुक्त किए जाने या उसे हटाए जाने के संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी [विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) के माध्यम से] लेनी होगी ।"

ख. उप-विनियम (6) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(6) जो स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के निदेशक मंडल (निदेशक बोर्ड) से त्यागपत्र दे देता है या जिसे सूचीबद्ध एंटिटी के निदेशक मंडल से हटा दिया जाता है, उस स्वतंत्र निदेशक के स्थान पर सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा नया स्वतंत्र निदेशक, जल्द से जल्द किंतु इस प्रकार पद रिक्त होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर, लाया जाएगा:

परंतु यह कि जहाँ सूचीबद्ध एंटिटी अपने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों संबंधी अपेक्षा को, इस प्रकार त्यागपत्र दिए जाने या इस प्रकार हटाए जाने से हुए रिक्त पद को भरे बिना, पूरा करती हो, वहाँ नए स्वतंत्र निदेशक को लाए जाने की अपेक्षा लागू नहीं होगी ।"

ग. उप-विनियम (10) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(10) 1 जनवरी, 2022 से, पिछले वित्तीय वर्ष की 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइज़ेशन) के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध एंटिटियाँ, अपने सभी स्वतंत्र निदेशकों हेतु 'निदेशकों और अधिकारियों का बीमा' ('डी एवं ओ बीमा') [उतनी रकम का और उतने जोखिमों का जैसा उसके निदेशक मंडल द्वारा तय किया जाए] करवाएँगी ।"

घ. उप-विनियम (10) के पश्चात्, एक नया उप-विनियम (11) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(11) जो स्वतंत्र निदेशक सूचीबद्ध एंटिटी से त्यागपत्र दे दे, ऐसे किसी भी स्वतंत्र निदेशक को उस सूचीबद्ध एंटिटी, उसकी नियंत्री (धारिता / होल्डिंग), उसकी समनुषंगी (सब्सिडियरी) या सहयोगी (सहयुक्त / असोसिएट) कंपनी के बोर्ड में या उसके संप्रवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की किसी कंपनी के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक (एग्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर) / पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि स्वतंत्र निदेशक के पद से त्यागपत्र दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि न बीत जाए ।"

VII. विनियम 36 में, उप-विनियम (3) में,-

क. खंड (घ) में, शब्दों "धारण करता हो" के पश्चात्, शब्द तथा चिह्न "और साथ ही उन सूचीबद्ध एंटिटियों के भी नाम, जहाँ से उस व्यक्ति ने पिछले तीन वर्षों में त्यागपत्र दिया हो" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

ख. खंड (ङ) के पश्चात्, एक नया खंड (च) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(च) स्वतंत्र निदेशक किस प्रकार से कुशल, योग्य व सक्षम होने चाहिए, और साथ ही यह भी कि जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव रखा जा रहा है वह किस तरह से इन अपेक्षाओं पर खरा उतरता है ।"

VIII. अनुसूची-II में, भाग-घ में, पैरा-क में, खंड (1) के पश्चात्, एक नया उप-खंड (1क) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(1क) स्वतंत्र निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति के लिए, नामांकन और पारिश्रमिक समिति यह आकलन करेगी कि अलग-अलग कुशलता, ज्ञान तथा अनुभव रखने वाले व्यक्ति बोर्ड में हों, और ऐसे आकलन के आधार पर एक ब्यौरा तैयार करेगी जिसमें यह जिक्र हो कि स्वतंत्र निदेशक की क्या भूमिका होगी और वह किस प्रकार से योग्य व सक्षम होगा । स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु बोर्ड को जिस व्यक्ति की सिफारिश की जाए, उसमें वे क्षमताएँ हों जिनका जिक्र उपरोक्तानुसार दिए गए ब्यौरे में किया गया हो । उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए, समिति:

क. यदि जरूरी हो, तो बाहरी एजेंसियों की सेवाएँ ले सकेगी;

ख. अलग-अलग कार्य-क्षेत्रों के उम्मीदवारों पर विचार कर सकेगी, ताकि सभी तरह के व्यक्ति बोर्ड में हों; और

ग. इस बात पर भी विचार कर सकेगी कि उम्मीदवार कितना समय दे पाएँगे ।"

IX. अनुसूची-III में, भाग-क में, पैरा-क में, खंड (7ख) में,-

क. उप-खंड (i) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(i) त्यागपत्र के साथ-साथ त्यागपत्र के कारण (जिनका उल्लेख उक्त निदेशक ने किया हो) ।"

ख. उप-खंड (i) के पश्चात्, एक नया उप-खंड (iक) अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"(iक) उन सूचीबद्ध एंटिटियों के नाम, जहाँ त्यागपत्र देने वाले निदेशक ने निदेशक-पद धारण किया हुआ हो, यह बताते हुए कि उसने बोर्ड की समितियों में किस प्रकार का निदेशक-पद (यदि कोई हो) धारण किया हुआ है और वह बोर्ड की किन-किन समितियों में सदस्य (यदि कोई हो) है ।"

ग. उप-खंड (iii) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(iii) उपरोक्तानुसार स्वतंत्र निदेशक द्वारा दिया गया पुष्टीकरण भी सूचीबद्ध एंटिटियों द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों को दिया जाएगा और साथ ही वे प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र) भी किए जाएँगे जिनका उल्लेख ऊपर उप-खंड (i) एवं उप-खंड (ii) में किया गया है ।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./180/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात् :

   क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा

   ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा

ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा

घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा

ङ) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा

च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

छ) 9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, द्वारा

ज) 30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/13, द्वारा

झ) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/21, द्वारा

ञ) 8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/24, द्वारा

ट) 6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/30, द्वारा

ठ) 16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/47, द्वारा

ड) 29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/07, द्वारा

ढ) 7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/12, द्वारा

ण) 27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/22, द्वारा

त) 29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/28, द्वारा

थ) 26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/45, द्वारा

द) 10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/02, द्वारा

ध) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

न) 5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/25, द्वारा

प) 8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/33, द्वारा

फ) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/02, द्वारा

ब) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/22, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/35.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,—

   I. In regulation 16, in sub-regulation (1), in clause (b),—

a. in sub-clause (iv), after the words "during the" and before the word "immediately", the word "two" shall be substituted by the word "three".

b. in sub-clause (v) the words and symbols "has or had pecuniary relationship or transaction with the listed entity, its holding, subsidiary or associate company, or their promoters, or directors, amounting to two per cent. or more of its gross turnover or total income or fifty lakh rupees or such higher amount as may be prescribed from time to time, whichever is lower, during the two immediately preceding financial years or during the current financial year" shall be substituted with the following namely:—

"—(A) is holding securities of or interest in the listed entity, its holding, subsidiary or associate company during the three immediately preceding financial years or during the current financial year of face value in excess of fifty lakh rupees or two percent of the paid-up capital of the listed entity, its holding, subsidiary or associate company, respectively, or such higher sum as may be specified;

(B) is indebted to the listed entity, its holding, subsidiary or associate company or their promoters or directors, in excess of such amount as may be specified during the three immediately preceding financial years or during the current financial year;

(C) has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness of any third person to the listed entity, its holding, subsidiary or associate company or their promoters or directors, for such amount as may be specified during the three immediately preceding financial years or during the current financial year; or

(D) has any other pecuniary transaction or relationship with the listed entity, its holding, subsidiary or associate company amounting to two percent or more of its gross turnover or total income:

Provided that the pecuniary relationship or transaction with the listed entity, its holding, subsidiary or associate company or their promoters, or directors in relation to points (A) to (D) above shall not exceed two percent of its gross turnover or total income or fifty lakh rupees or such higher amount as may be specified from time to time, whichever is lower."

c. In sub-clause (vi),—

   i. the symbol and word "/herself" shall be inserted after the word "himself" and before the symbol and word ", nor".

   ii. in point (A), after the words "associate company" and before the words "in any", the words and symbols "or any company belonging to the promoter group of the listed entity," shall be inserted.

   iii. under the point (A), a new proviso shall be inserted namely:—

   "Provided that in case of a relative, who is an employee other than key managerial personnel, the restriction under this clause shall not apply for his / her employment."

II. In regulation 17, after sub-regulation (1B), a new sub-regulation (1C) shall be inserted namely:—

"(1C). The listed entity shall ensure that approval of shareholders for appointment of a person on the Board of Directors is taken at the next general meeting or within a time period of three months from the date of appointment, whichever is earlier."

III. In regulation 18, in sub-regulation (1), at the beginning of clause (b), the words "At least" shall be inserted before the words "two-thirds".

IV. In regulation 19, in sub-regulation (1), in clause (c),—

a. the words "fifty percent" shall be substituted by the words "two-thirds".

b. the symbols and words "[and in case of a listed entity having outstanding SR equity shares, two thirds of the nomination and remuneration committee shall comprise of independent directors]" shall be omitted.

V. In regulation 23, under sub-regulation (2), a new proviso shall be inserted namely:—

"Provided that only those members of the audit committee, who are independent directors, shall approve related party transactions."

VI. In regulation 25,—

a. after sub-regulation (2), a new sub-regulation (2A) shall be inserted namely:—

"(2A). The appointment, re-appointment or removal of an independent director of a listed entity, shall be subject to the approval of shareholders by way of a special resolution."

b. in sub-regulation (6),—

i. the words "the immediate next meeting of the board of directors or" appearing after the words "later than the" and before the words "three months" shall be omitted.

ii. the symbol and words ", whichever is later" appearing after the words "such vacancy" and before the proviso shall be omitted.

c. in sub-regulation (10), the word, numbers and symbol "October 1, 2018" shall be substituted with the word, numbers and symbol "January 1, 2022" and the number "500" shall be substituted with the number "1000".

d. after sub-regulation (10), a new sub-regulation (11) shall be inserted namely:—

"(11). No independent director, who resigns from a listed entity, shall be appointed as an executive / whole time director on the board of the listed entity, its holding, subsidiary or associate company or on the board of a company belonging to its promoter group, unless a period of one year has elapsed from the date of resignation as an independent director."

VII. In regulation 36, in sub-regulation (3),—

a. in clause (d), after the words "the board", the words "along with listed entities from which the person has resigned in the past three years" shall be inserted.

b. after clause (e), a new clause (f) shall be inserted namely:—

"(f). In case of independent directors, the skills and capabilities required for the role and the manner in which the proposed person meets such requirements."

VIII. In Schedule II, in Part D, in Para A, after clause (1), a new sub-clause (1A) shall be inserted namely:—

"(1A). For every appointment of an independent director, the Nomination and Remuneration Committee shall evaluate the balance of skills, knowledge and experience on the Board and on the basis of such evaluation, prepare a description of the role and capabilities required of an independent director. The person recommended to the Board for appointment as an independent director shall have the capabilities identified in such description. For the purpose of identifying suitable candidates, the Committee may:

a. use the services of an external agencies, if required;

b. consider candidates from a wide range of backgrounds, having due regard to diversity; and

c. consider the time commitments of the candidates."

IX. In Schedule III, in Part A, in Para A, in clause (7B),—

a. in sub-clause (i),—

i. the words "The letter of resignation along with" shall be inserted before the words "detailed reasons".

ii. the words "of independent directors" appearing after the word "resignation" and before the words "as given" shall be omitted.

iii. the words "shall be disclosed by the listed entities to the stock exchanges" appearing after the word "director" shall be omitted.

b. after sub-clause (i), a new sub-clause (ia) shall be inserted namely:—

"(ia). Names of listed entities in which the resigning director holds directorships, indicating the category of directorship and membership of board committees, if any."

c. in sub-clause (iii),—

i. the words "detailed reasons" appearing after the words "along with the" shall be substituted by the word "disclosures".

ii. after the words and symbols "sub-clause (i)" and before the word "above", the word and symbols "and (ii)" shall be inserted.

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./180/2021-22]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:

   a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.

b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/001.

c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.

d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.

e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.

f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.

g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.

h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.

i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.

j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.

k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.

l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.

n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.

o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.

p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.

q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.

r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.

s) April 17, 2020 by SEBI (Regulatory Sandbox) (Amendment)Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

t) August 05, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.

u) October 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.

v) January 08, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.

w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/22.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.03 22:24:34 +05'30'